



दूरभाष—2286709, 2286711
राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 लखनऊ
नवचेतना केन्द्र, 10 आशोक मार्ग, लखनऊ—226001

पत्रांक 883/241/एन.यू.एल.एम./तीन/2001(ईएसटी एण्ड पी)

दिनांक—08/01/15

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. नगर आयुक्त/सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर,
नगर निगम,
आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, राहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, बरेली,
गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ तथा फिरोजाबाद।
3. अधिशासी अधिकारी/सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर,
नगर पालिका परिषद् /नगर पंचायत

लोनी, मोदीनगर (गाजियाबाद), अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अमरोहा, आजमगढ़, बदायूँ
बहराइच, बलिया, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, खुर्जा, समस्ति, बदौसी, शिकोहाबाद,
गुगलसराय, बडौत (बागपत), देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, करुखाबाद, फतेहपुर,
गाजीपुर, गोण्डा, हायुड़, हरदोई, हाथरस, उरई, जौनपुर, कासगंज, लखीमपुरखीरी,
ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली,
रामपुर, शाहजहांपुर, शागली, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, औरेया, बागपत, बलरामपुर,
नवाबगंज (बाराबंकी), चित्रकूटधाम कर्वी, दादरी (गौतमबुद्धनगर), हमीरपुर, विजनौर,
कन्नौज, पड़रीना (कुशीनगर), गहोबा, मऊ, प्रतापगढ़, खलीलाबाद (सतकबीरनगर),
सिद्धार्थनगर, रावंटसगंज (सोनभद्र), अमेठी, ज्ञानपुर (गदोही), चन्दौली, अकबरपुर (कानपुर
देहात), मंडानपुर (कौशाम्बी) तथा भिनगा (श्रावस्ती)।

विषय: राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से
रोजगार (ई0एस0टी0एण्ड पी0) के अन्तर्गत लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये
जाने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश।

महोदय,

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से
रोजगार (ई0एस0टी0एण्ड पी0) अन्तर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है
ताकि वे वेतनपरक रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु लघु उद्यम रथापित करते हुए अपनी आजीविका
में स्थाई सुधार कर सकें।

शासन के पत्र रांख्या—88/69-1-2015-14(104)/2013 टीसी-1, दिनांक 20.01.
2015 द्वारा निर्णय लिया गया है कि एन0यू0एल0एम0 के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन
के माध्यम से रोजगार के अन्तर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कौशल
प्रशिक्षण प्रदाताओं का इम्पैनलमेन्ट पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा शहर स्तर पर शहर मिशन प्रबंधन
ईकाई (सी0एम0एम0यू0) के माध्यम से किया जायेगा।

शासन से प्राप्त उक्त निर्देशों के अनुक्रम में कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं का शहरवार चयन
किये जाने हेतु राज्य शहरी मिशन प्रबंधन ईकाई (सूडा) उ0प्र0 द्वारा निविदा
संख्या—4692/241/एन.यू.एल.एम./तीन/2014(ई0एस0टी0एण्ड पी0), दिनांक 19.02.2015 के

द्वारा निविदा (आर०एफ०पी०) प्रकाशित कर निविदादाताओं को संबंधित शहरों के शहर मिशन प्रबंधन ईकाई में प्रस्तावों को जमा करने के निर्देश दिये गये। शहर स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति द्वारा संबंधित शहरों में प्राप्त निविदाओं का निर्धारित पैरामीटर पर गूल्यांकन कर मूल्यांकन रिपोर्ट राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ०प्र० को उपलब्ध कराई गई। राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ०प्र० ने शहरों से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट का परीक्षण करते हुए दिशानिर्देशानुसार शहरवार इमैनल कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं का अनुमोदन करते हुए शहरवार इमैनल कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं की सूची कार्यालय ज्ञाप संख्या— ६५४ / २४१ / NULM / तीन / २०१४(EST&P) दिनांक २१.०५.२०१५, ६८२ / २४१ / NULM / तीन / २०१४ (EST&P) दिनांक २२.०५.२०१५ एवं ८५९ / २४१ / NULM / तीन / २०१४(EST&P) दिनांक ०४.०६.२०१५, के द्वारा शहरों को उपलब्ध कराते हुए सूडा, उ०प्र० की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।

राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ०प्र० द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं की शहरवार अनुमोदित सूची के अनुसार ही शहर मिशन प्रबंधन ईकाई द्वारा अपने—अपने शहरों हेतु इमैनल कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई०एस०टी०एप्ड पी०) के अन्तर्गत लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की कार्यवाही निम्नानुसार की जायेगी :-

१. कौशल प्रशिक्षण हेतु लक्ष्य—

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत चयनित सभी शहरों हेतु राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए शहरवार लक्ष्यों का आवंटन किया जायेगा। राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा शहरों को आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु शहर मिशन प्रबंधन ईकाई (सी०एम०एम०य०) द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

२. कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को कार्यादेश जारी करना—

राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा शहरवार इमैनल किये गये कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण कार्य हेतु लक्ष्यों का आवंटन (कार्यादेश) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित शहर स्तरीय कार्यकारी समिति (नगर निगम वाले शहरों में नगर आयुक्त एवं नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत वाले शहरों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में) के अनुमोदनोपरान्त शहर मिशन प्रबंधन ईकाई द्वारा किया जायेगा। शहरवार इमैनल कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को निविदा में प्राप्त अंक, स्थानीय संसाधन (प्रशिक्षण क्षमता), स्थानीय आवश्यकता/ट्रेड की मांग, संबंधित ट्रेड में अनुभव आदि को देखते हुए पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रशिक्षण हेतु लक्ष्यों को आवंटित किया जायेगा।

२.१ कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को आवंटित लक्ष्यों का विवरण (कौशल प्रशिक्षण प्रदाता का नाम, आवंटित लक्ष्य, रिक्ल सेक्टर एवं ट्रेड का नाम, आदि) लक्ष्य आवंटन के ३ दिन अन्दर राज्य शहरी आजीविका मिशन को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। उक्त विवरण को भारत सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार घटक हेतु तैयार की गयी एम०आई०एस० सिस्टम में अपलोड किया जायेगा।

३. कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं से अनुबंध एवं बैंक गारंटी—

निविदा के माध्यम से शहरवार इमैनल कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं और शहर मिशन प्रबंधन ईकाई के मध्य एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया जायेगा। उक्त अनुबंध के साथ ही कौशल प्रशिक्षण प्रदाता को संबंधित शहर की शहर मिशन प्रबंधन ईकाई के पक्ष में ₹1.00 लाख की बैंक गारंटी जमा करनी होगी। अनुबंध प्रपत्र संलग्नक-४ के रूप में संलग्न है।

- 3.1 सभी कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा संस्था के लेटर-हैड पर ये अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र अनुबन्ध के साथ उपलब्ध करायी जायेगी कि वो कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई०एस०टी० एण्ड पी०) के अंतर्गत संबंधित शहर (नगर निकाय) के अतिरिक्त अन्य किसी शहर में प्रशिक्षण कार्य प्रदान नहीं कर रहा है। यह अण्डरटेकिंग व शपथ अनिवार्य रूप से अनुबन्ध पत्र का भाग होगा।
4. कौशल प्रशिक्षण हेतु लाभार्थियों का चयन और उनको गतिशील करना—
 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई०एस०टी० एण्ड पी०) के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन एवं जागरूकता निर्माण हेतु विस्तृत निर्देश सूडा के पत्रांक संख्या— 2155/241/एनयूएलएम/तीन/2001 (ई०एस०टी०पी०), दिनांक 18.09.2014 द्वारा जारी किये जा चुके हैं। उक्त निर्देशानुसार ही प्रशिक्षण हेतु लाभार्थी का चयन किया जायेगा और लाभार्थियों को प्रशिक्षण हेतु गतिशील करने का कार्य कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा शहर मिशन प्रबंधन ईकाई के मार्गदर्शन में किया जायेगा।
- उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्य योजना आयोग-1 के शासनादेश संख्या— 18एम(6)/35-आ-1/2004-12, दिनांक 17 जून, 2004 के आदेशानुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों/परिवारों को लाभान्वित करने हेतु संचालित योजनान्तर्गत 05 सदस्यों के परिवार को आधार मानते हुए प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रु० 25546/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की वार्षिक आय सीमा निर्धारित की गई है। उक्त प्रतिवर्ष आय सीमा के परिवार/व्यक्ति कौशल प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे।
5. प्रशिक्षण केन्द्र पर उपलब्ध व्यवस्था—
 प्रत्येक कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा संबंधित नगर निकाय की सीमा क्षेत्र के अन्दर स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों पर ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा। निविदा के अनुसार लाभार्थियों की सुविधानुसार, कौशल प्रशिक्षण प्रदाता को कार्यादेश प्राप्ति के 10 दिवारों के अन्दर प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करना होगा।
- 5.1 प्रशिक्षण केन्द्रों में अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने वाली सुविधाओं का विवरण संलग्नक-1 पर उपलब्ध फार्मेट में दिया गया है। प्रत्येक कौशल प्रशिक्षण प्रदाता को इस फारमेट में उल्लेखित सुविधाओं को प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर सुनिश्चित करना अनिवार्य है। प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र का विवरण इस फारमेट में सत्यापन हेतु शहर मिशन प्रबंधन ईकाई को फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5.2 कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण से संबंधित 4X2 फुट का बैनर लगाया जायेगा। जिसमें मिशन का नाम, संबंधित शहर के शहर मिशन प्रबंधन ईकाई, कौशल प्रशिक्षण प्रदाता का नाम, प्रशिक्षण केन्द्र का नाम एवं पता, प्रशिक्षण का ट्रेड, अवधि आदि का विवरण अनिवार्य रूप से होगा।
- 5.3 कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा जो भी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जायेंगे वो Skill Development Initiative (SDI) योजनान्तर्गत Modular Employable Skill (MES) आधारित ट्रेडवार पाठ्यक्रम में दिये गये मानकों एवं प्रशिक्षण हेतु अनिवार्य दूल्स/सामग्री का अनिवार्य रूप से प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में उपलब्ध होना आवश्यक है। Modular Employable Skill (MES) आधारित ट्रेडवार पाठ्यक्रम में दिये गये मानकों एवं प्रशिक्षण हेतु अनिवार्य दूल्स/सामग्री एवं प्रशिक्षण केन्द्र में अनिवार्य सुविधाएं के लिये MES आधारित ट्रेडवार पाठ्यक्रम का विवरण वेबसाइट www.dget.nic.in, www.sdi.gov.in और सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध है। गॉडयूल

के अनुसार पूरा कोर्स पढ़ाया जाये तथा सम्यक प्रशिक्षण मॉड्यूल के प्रत्येक बिन्दु पर दिया जाये ताकि वे मॉड्यूल के सभी बिन्दुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें व असेसमेन्ट पास कर सकें एवं उनका प्लेसमेन्ट हो सके।

- 5.4 Modular Employable Skill (MES) आधारित ट्रेडवार पाठ्यक्रम में दिये गये मानकों एवं प्रशिक्षण हेतु अनिवार्य टूल्स/सामग्री का अनिवार्य रूप से प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में उपलब्ध होने के साथ-साथ संलग्नक-1 पर उपलब्ध फार्मेट अंकित सुविधाएं भी प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में उपलब्ध होना आवश्यक है।

6. प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण-

कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा उक्त फार्मेट पर प्रशिक्षण केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण शहर मिशन प्रबंधन इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसको प्रशिक्षण केन्द्र निरीक्षण समिति द्वारा सत्यापित किया जायेगा। यह समिति निम्नवत् होगी।

1. परियोजना निदेशक, दूड़ा	अध्यक्ष
2. शहर परियोजना अधिकारी	सदस्य संयोजक
3. परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी	सदस्य
4. जिला सेवायोजन अधिकारी	सदस्य

उक्त समिति द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में संलग्नक-1 पर उपलब्ध फार्मेट पर लिखित सभी सुविधाओं का प्रशिक्षण केन्द्र पर उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जायेगा। इस समिति के द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र के सत्यापन व सहमति के पश्चात ही प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ होगा।

7. प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम-

घटक के दिशानिर्देशानुसार एवं निविदा के अनुसार इम्पैनल कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा Skill Development Initiative (SDI) योजनान्तर्गत Modular Employable Skill आधारित पाठ्यक्रम की सूची जोकि NCVT (as on 24.03.2015) द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा (संलग्नक-3)।

7.1 कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा निविदा के मानकों के अनुरार अधिकतम 3 स्किल सेक्टरों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु शहरवार इम्पैनल किया गया है। अगर संबंधित शहर में किसी विशेष स्किल सेक्टर/ट्रेड में कोई कौशल प्रशिक्षण प्रदाता इम्पैनल नहीं है, और उस स्किल सेक्टर/ट्रेड में लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की मांग आती है तो इस परिस्थिति में शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ0प्र0 से अनुमति लेकर शहर हेतु इम्पैनल कौशल प्रशिक्षण प्रदाता से उस स्किल सेक्टर/ट्रेड में लाभार्थियों को दिशानिर्देशानुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकता है। कौशल प्रशिक्षण हेतु उपयोग किये जाने वाले पाठ्यक्रम के पूर्ण विवरण वेबसाइट www.dget.nic.in, www.sdi.gov.in और सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध है।

8. प्रशिक्षणार्थियों हेतु साप्ट स्किल-

कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को ट्रेड हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम की अवधि के प्रशिक्षण के अतिरिक्त दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 30 घण्टे का साप्ट स्किल का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस साप्ट स्किल के प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। इस साप्ट स्किल प्रशिक्षण की लागत प्रशिक्षण हेतु प्रदान की जाने वाली धनराशि में समाहित है। साप्ट स्किल का प्रशिक्षण निम्नलिखित होगा :

Soft Skills

- Basic communication (English and Local language), wherever possible provide general awareness on computers (for course other than computer training), professional etiquettes, communication skills etc.
- Financial literacy - awareness on savings, credit, subsidy, remittance, insurance and pension
- Government schemes - the candidate may also be provided information regarding government schemes (including other components of NULM) and entitlements for poverty alleviation.

9. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि एवं प्रशिक्षणार्थियों की संख्या—

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि SDI योजनान्तर्गत MES आधारित NCVT अनुमोदित पाद्यक्रम में प्रत्येक ट्रेड के लिए निश्चित अवधि (घण्टों में) के अनुसार होगी। आयु एवं शैक्षिक योग्यता का भी उक्त NCVT अनुमोदित पाद्यक्रमों के अनुसार होगी जिसमें व्योरी एवं प्रेविटकल हेतु घण्टों को निर्धारित किया गया है।

9.1 प्रत्येक बैच में अधिकतम 30 प्रशिक्षणार्थी होंगे, किसी भी दशा में एक बैच में 30 से अधिक प्रशिक्षणार्थी नहीं होंगे। प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणार्थियों की सुविधानुसार दो पाली में भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जा सकता है। परन्तु पाली का समय प्रशिक्षणार्थियों की सुविधानुसार ही तय किया जायेगा।

10. प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली प्रारम्भिक रिपोर्ट—

प्रत्येक कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा संलग्नक-2 पर उपलब्ध फारमेट "प्रशिक्षण केन्द्रवार एवं बैचवार प्रशिक्षणार्थियों का विवरण प्रपत्र" पर प्रशिक्षण केन्द्रवार एवं बैचवार प्रशिक्षणार्थियों का विवरण शहर मिशन प्रबंधन ईकाई को उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात उस प्रशिक्षण केन्द्र पर बैचवार प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इस फारमेट पर उस प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण का पूर्ण विवरण एवं प्रशिक्षणार्थियों से संबंधित सभी रूचनाएं उपलब्ध कराई जायेगी।

11. प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति—

कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज करने के साथ-साथ बायोमेट्रिक मशीन द्वारा भी अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज की जायेगी। बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज उपस्थिति आनलाइन व हार्ड कार्पी सप्ताहवार शहर मिशन प्रबंधन ईकाई को उपलब्ध कराई जायेगी। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की 85 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है, किसी दशा में यह उपस्थिति 85 प्रतिशत से कम है तो प्रशिक्षणार्थी का अरोसमेंट नहीं किया जायेगा। लाभार्थी द्वारा अनुपस्थित रहने का उपर्युक्त कारण अगर प्रस्तुत किया जाता है तो शहर मिशन प्रबंधन ईकाई द्वारा उसको अतिरिक्त कक्षा/घण्टों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए अरोसमेंट की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

12. प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी लागत—

दिशा निर्देशानुसार प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी लागत निम्नवत् है :

Cost Norms - The maximum cost support provided for training under EST&P is Rs. 15,000/- per candidate. However, the cost of training may vary based on the course curriculum, infrastructure and materials needed for the course, course duration, etc. The training cost will include cost of candidate mobilization, curriculum design, trainer's fees, raw materials required for training, assessment & certification, placement linkage, MIS and post-placement tracking of the candidates.

Payment to the Skill Training Provider will be made as per the based on sector wise trade of training hours. List of sector wise courses, minimum eligibility, duration (Hours) & Cost Category for Core Skills given in annexure-3

Training Cost - The Training Cost for each Category be explained as follows:

S. No.	Cost Category	Training Cost including soft skill component cost (per trainee per hour in INR)
1	A	27.50/-
2	B	22.50/-

- Skill Development Initiative Scheme (SDIS) based on MODULAR EMPLOYABLE SKILLS List of MES Courses approved by NCVT (As on 24-03-2015).

12.1 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि SDI योजनान्तर्गत MES आधारित NCVT अनुमोदित पाठ्यक्रम में प्रत्येक ट्रेड के लिए निरिचत अवधि (घण्टों में) के अनुसार होगी। NCVT अनुमोदित पाठ्यक्रमों में समय-समय पर ट्रेड कोड, आयु एवं शैक्षिक योग्यता और अवधि (घण्टों में) में संशोधन होता रहता है। जिसके आधार पर भारत सरकार द्वारा संशोधित स्किल सेक्टर/ट्रेड की सूची जारी की जाती है। अगर किसी ट्रेड की अवधि (घण्टों में) परिवर्तित होती है और उस ट्रेड की प्रशिक्षण लागत रु. 15000 / से अधिक होने की स्थिति में दिशानिर्देशानुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदाता को किसी भी दशा में रु. 15000 / से अधिक नहीं भुगतान किया जायेगा।

13. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भुगतान-

कौशल प्रशिक्षण प्रदाता को प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भुगतान बैचवार किया जायेगा। यह भुगतान घटक के दिशानिर्देश एवं नियिदा के अनुसार निम्नवत होगा :

Payment Schedule and Terms of Condition

The last installment of training cost to be released only after successful placement of microenterprise development and tracking for 6 months post successful completion of the training:

Sl. No.	Deliverables	Percentage of Payment
1	<p>1st Installment:</p> <ul style="list-style-type: none"> Finalization of list of beneficiaries. After commencement of training and certified from the STP to CMMU/DUDA. Beneficiaries online data feeding of Trainees. STP should provide the inception report of the training in which they insure the 10 days attendance of each trainees out of 15 days training. 	30 %
2	<p>2nd Installment:</p> <ul style="list-style-type: none"> On successful completion of training of respective batches and documentary proof of certification and placement process initiation. On completion of training and submission of completion report along with photograph of trainees including details of conducted the training. submission of detail assessment reports and all photo copy of certificates of trainees and placement details which includes appointments letter from employers and beneficiaries undertaking for self employment including bank financing details. <p>Note - on the basis of the above the 50% training cost would be release only for those trainees who have got the certificate after successful assessment criteria of the trainees shall be taken in account for releasing the second installment.</p> <p>The training provider can enroll the candidates failing the assessment for repeat the training for certification and placement. However, the re-training and their assessment cost of such candidates shall be borne by the STP.</p>	50%

3	<p>3rd Installment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50% placement (job-placement or setting up self-enterprise) of the trainees of the respective trade in the suitable organization and completion of 6 months of engagement. <ul style="list-style-type: none"> • Job Placement: On successful completion of the training, the candidate shall be provided placement in suitable job by the STP within one month of completion of the training. • Micro-enterprise: For candidates interested in setting up micro-enterprises, the STPs shall be responsible to assist in setting-up the microenterprise within 3 months of successful completion of the training. • Submission of all relevant reports and issue of certification in support of the same, along-with self certified undertaking and bank financing details for self employment and salary certificate from the employer signed by the concerned beneficiary. • Trainee wise monthly tracking report for 6 month (prescribed and agreed format) on handholding support to the candidate placed in different agencies. <p><i>Note - The STP shall work towards providing job-placement or setting up self-enterprise for all the successful candidates. It is mandatory for the STP to provide placement / set-up support to self-enterprise for minimum 50% of overall target trainees, inability to do so shall result into suitable penalty as provided in the terms & conditions of the contract with STPs.</i></p>	20 %
---	--	------

- As per latest instruction issued from time to time by Govt. of India and Uttar Pradesh,

14. प्रशिक्षणार्थियों का असेसमेंट एवं प्रमाणीकरण—

कौशल प्रशिक्षण हेतु निर्धारित अवधि पूर्ण हो जाने और प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने के पश्चात कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा शहर हेतु नामित/इम्पैनल अरोसमेंट बॉडी से सम्पर्क करते हुए वैचार प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेंट हेतु कार्यवाही की जायेगी। अरोसमेंट बॉडी के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेंट के पश्चात कौशल प्रशिक्षण प्रदाता के माध्यम से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेंट एवं प्रमाणीकरण हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा असेसमेंट बॉडी को पूर्ण अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।

14.1 शहर मिशन प्रबंधन इंकाई द्वारा असेसमेंट बॉडी को असेसमेंट एवं प्रगाणीकरण की निर्धारित फीस उपलब्ध कराई जायेगी। यह असेसमेंट फीस प्रशिक्षण प्रदाता को प्रशिक्षण हेतु भुगतान की जाने वाली राशि से ही की जायेगी।

14.2 राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा शहरवार/जनपदवार असेसमेंट बॉडी की सूची और असेसमेंट की लागत के संबंध में अलग से विस्तृत विश्लेषण जारी किये जायेंगे।

15. प्रशिक्षणार्थियों का सेवायोजन एवं ट्रेकिंग व्यवस्था—

कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा कुल प्रशिक्षित लाभार्थियों का न्यूनतम 50 प्रतिशत सेवायोजन (रोजगार सेवायोजन एवं स्वरोजगार हेतु लघु उद्यम स्थापना में सहयोग) किया जायेगा। सेवायोजन के पश्चात उक्त प्रशिक्षणार्थियों की 6 माह तक ट्रेकिंग कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा नियमित रूप से की जायेगी और उसके साथ शहर मिशन प्रबंधन इंकाई को उपलब्ध कराने होंगे। इसके पश्चात ही प्रशिक्षण कार्य के भुगतान हेतु निश्चित अन्तिम किश्त का भुगतान किया जायेगा।

- Job Placement: On successful completion of the training, the candidate shall be provided placement in suitable job by the STP within one month of completion of the training.
- Micro-enterprise: For candidates interested in setting up micro-enterprises, the STPs shall be responsible to assist in setting-up the microenterprise within 3 months of

successful completion of the training. The STPs shall provide support for proposal writing, ensure credit from banks, provide support for availing subsidy to candidates regarding any of the micro-enterprise development schemes such as SEP component under NULM, Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MoMSME), Cluster Development Schemes under MoMSME or any other such scheme.

15.2 प्रशिक्षण कार्यक्रम के समाप्ति के एक माह पूर्व से ही प्रशिक्षणार्थियों के सेवायोजन हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा रणनीति तैयार की जायेगी। राभी प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान वार्ता/काउंसलिंग की जायेगी ताकि वेतनपरक रोजगार एवं लघु उद्यम/स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षणार्थियों को विनिष्ट करते हुए उनके सेवायोजन की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके।

16. प्रशिक्षणार्थियों का वित्तीय समावेशन—

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रत्येक लाभार्थी के वित्तीय समावेशन के तहत कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई०एस०टी०एण्ड पी०) घटक के अन्तर्गत जिन प्रशिक्षणार्थियों का बचत बैंक खाता नहीं खुला है उन सभी प्रशिक्षणार्थियों का बचत बैंक खाता खुलवाने में सहयोग करेगा।

17. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं फीडबैक—

गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सांबालन हेतु *शहर मिशन प्रबंधन ईकाई द्वारा नियमित तौर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। प्रशिक्षण केन्द्र निरीक्षण समिति द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम एक बार प्रशिक्षण केन्द्रों का भ्रमण किया जायेगा और अपनी टिप्पणी शहर मिशन प्रबंधन ईकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन/राज्य मिशन प्रबंधन ईकाई को उपलब्ध कराई जायेगी। कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रवार एवं बैचवार उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर औचक निरीक्षण किये जायेंगे और प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण के संबंध में फीडबैक लिया जायेगा। कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा बैचवार प्रशिक्षणार्थियों द्वारा फीडबैक लिया जायेगा जोकि अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण रिपोर्ट का हिस्सा होगी। इस फीडबैक के आधार पर कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा उचित सुधार किया जायेगा तथा उसे उचित सुझाव प्रदान किये जायेंगे ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

18. प्रशिक्षण रिपोर्ट—

कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रत्येक किश्त का भुगतान प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण की उपयुक्त फोटोग्राफ्स सहित संक्षिप्त प्रशिक्षण संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम की रामाप्ति पर प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा संक्षिप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट (साप्ट एवं हार्ड कॉपी) तैयार कर शहर मिशन प्रबंधन ईकाई को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों की विस्तृत विवरण सहित सूची, प्रशिक्षण का विवरण, समय (अवधि), प्रगमण पत्रों की प्रतिलिपि, प्रशिक्षकों व प्रशिक्षणार्थियों का ग्रुप फोटो हीना चाहिये।

18.1 संबंधित शहर मिशन प्रबंधन ईकाई द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं से प्राप्त प्रशिक्षण रिपोर्ट के आधार पर कौशल प्रशिक्षण प्रदातावार संक्षिप्त रिपोर्ट (साप्ट एवं हार्ड कॉपी में) राज्य शहरी आजीविका मिशन/राज्य मिशन प्रबंधन ईकाई को उपलब्ध कराई जायेगी। इस संक्षिप्त रिपोर्ट के आधार पर राज्य मिशन प्रबंधन ईकाई द्वारा आवश्यकतानुसार शहर मिशन प्रबंधन ईकाई और कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण हेतु निर्देश/सुझाव प्रदान किये जायेंगे।

19. प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु एम०आई०एस०-

शहर मिशन प्रबंधन इकाई/राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा निर्धारित एम०आई०एस० फार्मेट/मासिक प्रगति फार्मेट पर बैचवार और कौशल प्रशिक्षण प्रदातावार प्रगति प्रत्येक माह की 01 तारीख तक सापेक्ष एवं हार्ड कापी में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

19.1 आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई०एस०टी० एण्ड पी०) हेतु तैयार किये गये शहरवार एम०आई०एस० सिस्टम में कौशल प्रशिक्षण हेतु घिन्हित किये गये प्रशिक्षणार्थियों की नवीन फोटो राहित पूर्ण विवरण कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा शहर मिशन प्रबंधन इकाई के सहयोग से अपलोड किया जायेगा। ई०एस०टी० एण्ड पी० के एम०आई०एस० सिस्टम में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के विवरण अपलोड होने पर प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों हेतु यूनिक रजिस्ट्रेशन नम्बर जनरेट होगा और इसी यूनिक रजिस्ट्रेशन नम्बर के आधार पर ही प्रशिक्षणार्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जायेगी।

19.2 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के शहरवार एम०आई०एस० सिस्टम के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई०एस०टी० एण्ड पी) घटक के एम०आई०एस० सिस्टम में शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा प्रत्येक कौशल प्रशिक्षण प्रदाता का एक यूजर आई०डी० और पासवर्ड जनरेट कर कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को दिया जायेगा। फोटोग्राफ युक्त प्रशिक्षणार्थियों की सूची, पता, ट्रेड आदि की सूचना और कौशल प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य संबंधित विवरण, इस यूजर आई०डी० और पासवर्ड के माध्यम से प्रत्येक कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा अपलोड किया जायेगा।

19.3 उक्त के अतिरिक्त कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को आवश्यकतानुसार समय-समय पर शहर मिशन प्रबंधन इकाई/राज्य शहरी आजीविका मिशन को अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।

उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही कार्य योजना के अनुसार समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, नगर विकास विभाग एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०।
3. समस्त परियोजना आधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।
4. वेब मास्टर, सूडा, को ई-मेल से प्रेषण एवं सूडा की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेश

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम
से रोजगार (ई०एस०टी० एप्ड पी०) के अन्तर्गत

प्रशिक्षण केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं हेतु प्रपत्र

(प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु अलग-अलग विवरण उपलब्ध कराया जायेगा)

शहर का नाम—.....

जनपद—.....

कौशल प्रशिक्षण प्रदाता का नाम—.....

प्रशिक्षण केन्द्र का नाम एवं पता—.....

क्र. सं.	विवरण		अनिवार्य न्यूनतम सुविधाएं
1	थोरी क्लास रूम	कुर्सियाँ	30 प्रशिक्षणार्थियों हेतु
		वाहइट बोर्ड	1
		नोटिस बोर्ड	1
2	प्रेक्टिकल क्लास रूम	Modular Employable Skill (MES) आधारित ट्रेडवार पाठ्यक्रम में दिये गये मानकों एवं प्रशिक्षण हेतु अनिवार्य टूल्स, सामग्री व मॉड्यूल का अनिवार्य रूप से प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में उपलब्ध होना आवश्यक है। (संरक्षा की मोहर एवं प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर सहित अनिवार्य टूल्स/सामग्री की सूची इस प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी)	
3	अन्य सुविधाएं	हॉ	नहीं
3.1	पेय जल व्यवस्था		
3.2	उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था और पंखे		
3.3	महिला व पुरुष हेतु अलग-अलग शौचालय व्यवस्था		
3.4	केन्द्र में संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री एवं पुस्तके		
3.5	मोटिवेशनल स्टोरी बुक और न्यूज पेपर		
3.6	उपस्थिति रजिस्टर		
3.7	विजटर रजिस्टर		
3.8	प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु बायोमेट्रिक मशीन		

कौशल प्रशिक्षण प्रदाता के प्राधिकारी का
हस्ताक्षर, संरक्षा की मोहर एवं दिनांक

नोट— उपर्युक्त सभी सुविधाओं का प्रशिक्षण केन्द्र में उपलब्ध होने के सत्यापन (प्रशिक्षण केन्द्र सत्यापन हेतु गठित समिति) के पश्चात ही प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ होगा। कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं के विवरण हेतु उपरोक्त प्रपत्र को भरकर संरक्षा की मोहर सहित प्राधिकृत हस्ताक्षरी से हस्ताक्षरित कर शहर मिशन प्रबंधन ईकाई को जमा करना होगा।

प्रशिक्षण केन्द्र निरीक्षण समिति की निरीक्षण आख्या /टिप्पणी—
(समिति के सदस्यों एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई०एस०टी० एण्ड पी०) के अन्तर्गत

प्रशिक्षण केन्द्रवार एवं बैचवार प्रशिक्षणार्थियों का विवरण प्रपत्र

(नोट- प्रत्येक कौशल प्रशिक्षण प्रदाता को प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्रवार एवं बैचवार यह विवरण शहर मिशन प्रबंधन ईकाई को जमा करना अनिवार्य है।)

शहर का नाम.....

जनपद.....

1	कौशल प्रशिक्षण प्रदाता का नाम																				
2	प्रशिक्षण केन्द्र का पूर्ण पता एवं दूरभाष न० (प्रशिक्षण केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं हेतु प्रपत्र/फार्मैट (संलग्नक-1) सलग्न करना अनिवार्य है।)																				
3	प्रशिक्षण केन्द्र में संचालित किये जाने वाले प्रशिक्षण का विवरण :																				
3.1	स्किल रोक्टर का नाम (कोड सहित)																				
3.2	ट्रेड/कोर्स का नाम (कोड सहित)																				
3.3	ट्रेड/कोर्स की कुल अवधि (घण्टों में)																				
3.4	ट्रेड/कोर्स की अवधि (दिवस में) (ट्रेड/कोर्स हेतु निश्चित कुल घण्टों की अवधि को प्रतिदिन प्रशिक्षण हेतु निश्चित किये गये घण्टों को दिवस में परिवर्तित कर लिखें)																				
3.5	राप्ट स्किल कोर्स की अवधि (घण्टों एवं दिवस में) (दिशानिर्देशानुसार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों को 30 घण्टे का साप्ट स्किल अनिवार्य)																				
3.6	बैच में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या																				
3.7	प्रशिक्षण हेतु निर्धारित समय																				
4	प्रशिक्षण केन्द्र पर उपलब्ध स्टाफ का विवरण																				
4.1	प्रशिक्षण समन्वयक का नाम (दूरभाष न० सहित)																				
4.2	प्रशिक्षक (विषय विशेषज्ञ) का नाम (उपलब्ध/आवश्यक के बायोडाटा के साथ संबंधित ट्रेड में न्यूनतम 2 वर्ष प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से सलग्न करें। प्रशिक्षक की शैक्षिक योग्यता Modular Employable Skill (MES) आधारित ट्रेडवार पाठ्यक्रम में दी गई शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव के अनुसार होनी अनिवार्य है।)																				
4.3	सहायक प्रशिक्षक का नाम																				
4.4	अन्य सहायी स्टाफ का नाम एवं कार्य प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण कार्य एवं अन्य कार्यों हेतु उपलब्ध व्यक्ति) (विविध																				
5	प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों का विवरण:																				
क्र. सं.	यूनेट रजिस्ट्रेशन नम्बर	प्रशिक्षणार्थी का नाम	माता का नाम	पिता का नाम	लिंग (महिला/ पुरुष)	वर्ग (सामान्य, एस.सी./ एस.टी./ ओ.बी.सी./ अल्पसंख्यक)	शैक्षिक योग्यता	पता	सम्पर्क नम्बर	पहचान पत्र के रूप में प्रस्तुत प्रपत्र/ आधार	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ट्रेड का नाम (कोड सहित)	अन्युक्ति									

कौशल प्रशिक्षण प्रदाता के प्राधिकारी का
हस्ताक्षर, संरक्षा की मोहर एवं दिनांक

List of Sector wise Courses

Skill Development Initiative Scheme (SDIS) based on MODULAR EMPLOYABLE SKILLS List of MES Courses approved by NCVT (As on 24-03-2015).

Note- STP are required to provide 30 hours Soft Skill training to all the trainings under EST&P as per guideline of NULM without any additional payment.

Sl. No.	MES Course Code	Sector / Course Name	Minimum Educational Qualification (MES Code)	Duration of Training (Hours)	Training Cost Category
1	AUR	AUTOMOTIVE REPAIR SECTOR	Minimum age-14 years		
1	AUR701	Basic Automotive Servicing 2 wheeler 3 wheeler	5th	500	A
2	AUR702	Basic Automotive Servicing 4 wheeler	5th	500	A
3	AUR703	Driver cum Mechanic	5th	600	A
4	AUR704	Bicycle and Tricycle repair	5th	500	A
2	BAN	BANKING & ACCOUNTING SECTOR	Minimum age-14 years		
5	BAN101	Accounting	12th	450	B
6	BAN103	Banking Sales Representative	10th, 16 yrs.	180	B
7	BAN104	Mutual Fund Associate	10th, 16 yrs.	200	B
3	BEA	BEAUTY CULTURE & HAIR DRESSING SECTOR	Minimum age-14 years		
8	BEA701	Beauty Therapy and Hair Styling level - 1	10th	500	A
9	BEA703	Integrated Course in Hair, Skin and Make-Up	8th	545	A
10	BEA704	Nail Technology	10th	240	A
11	BEA705	Bridal Make-up Artist	8th	300	A
4	SPW	SPA & WELLNESS SECTOR	Minimum age-14 years		
12	SPW702	Spa Therapy Level - 2	10th	480	A
13	SPW703	Ayurveda Spa Therapist	10th	500	A
5	CAR	CARPET	Minimum age-14 years		
14	CAR106	Hand tufted Carpet Manufacturing	5th	240	A
15	CAR214	Entrepreneurship & Export Management	5th + any one of MES level I course	240	A
6	ELE	ELECTRICAL	Minimum age-14 years		
16	ELE701	Electrician Domestic	8th	600	A
17	ELE703	Electrical Winder	8th & 14 yrs.	600	A
7	REN	RENEWABLE ENERGY	Minimum age-14 years		
18	RNE701	Solar electric System Installer & Service Provider	8th & 18 yrs.	500	A
19	RNE702	Solar Hot Water System Installer (Domestic system upto 2000L)- including servicing	8th & 18 yrs.	500	A
8	ELC	ELECTRONICS	Minimum age-14 years		
20	ELC701	Repair & Maintenance of Domestic Electronic Appliances	8th	520	A
21	ELC702	Repair & Maintenance of Office Electronic Equipment	8th	520	A
22	ELC703	Repair & maintenance of Personal electronic devices	8th	520	A

23	ELC704	Operation & Maintenance of Physiotherapy Equipment	8th + should be able to read & write English	200	A
24	ELC705	Operation & Maintenance of ECG & ICCU Instruments	8th + should be able to read & write English	200	A
25	ELC706	Operation & Maintenance of X-Ray Machine & Dark room Assistance	8th + should be able to read & write English	240	A
26	ELC707	Operation and Maintenance of Clinical Equipment	8th + should be able to read & write English	200	A
9	FAB	FABRICATION	Minimum age- 14 years		
27	FAB702	TIG Welder	8th + FAB 701	300	A
28	FAB703	CO2 Welder	8th + FAB 701	300	A
29	FAB706	Welder (Repair & Maintenance)	8th	500	A
30	FAB708	Pipe Welder (TIG & MMAW)	8th + FAB 701	300	A
31	FAB709	Sheet Metal Worker (Panels, Cabins & Ducts)	8th	500	A
10	GAR	GARMENT MAKING *	Minimum age- 14 years		
32	GAR501	Hand Embroider	5th	520	A
33	GAR505	Garment Packer/ Ironer/ Fusing Technician	5th	360	A
34	GAR603	Computerized Embroidery Techniques	8th	360	A
35	GAR511	Ornamentalist – Hand Work specialist- Applique	5th	520	A
36	GAR512	Ornamentalist – Hand Work specialist- Patch Work	5th	520	A
37	GAR515	Industrial Sewing Machine Operator	5th	360	A
38	GAR516	Tailor (Basic Sewing Operator)	5th	270	A
11	FAD	FASHION DESIGN	Minimum age- 14 years		
39	FAD705	Batik Printing Specialist	7th	500	A
40	FAD706	Tie and Dye Specialist	7th	500	A
41	FAD707	Block Printer	7th	500	A
42	FAD708	Accessories Designing	7th	500	A
12	GEM	GEM AND JEWELLERY	Minimum age- 14 years		
43	GEM101	Gem Cutting Assistant	8th	180	A
44	GEM102	Foundation Course for Jewellery	8th	120	A
45	GEM 532	Jewellery Designer	8th	320	A
46	GEM634	Costume Jewellery Maker	8th & 15 years of age	320	A
13	HOS	HOSPITALITY	Minimum age- 14 years		
47	HOS701	Cook (General)	5th	520	A
48	HOS702	Cook (Continental)	5th	520	A
49	HOS703	Cook (Indian Cuisine)	5th	520	A
50	HOS704	Housekeeper	5th	520	A
51	HOS709	Food & beverages Service	5th	544	A
52	HOS610	Front office cum receptionist	10th	520	A
14	ICT	INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY	Minimum age- 14 years		

53	ICT701	Accounts Assistant using Tally	10th	500	A
54	ICT702	DTP and Print Publishing Assistant	10th	500	A
55	ICT703	Computer Hardware Assistant	10th	500	A
56	ICT705	BPO- Non Voice	10th	500	A
57	ICT706	BPO Voice	10th	500	A
15	MED	MEDICAL AND NURSING	Minimum age-14 years		
58	MED101	Bedside Assistant	8th	450	A
59	MED103	Dietician Assistant	8th	270	A
60	MED104	Inoculator	8th	300	A
61	MED121	Dental Mechanic	10th	300	A
62	MED122	Optician	8th	120	A
63	MED124	Pharmacy Assistant	10th	180	A
64	MED126	Yoga Therapist	10th	360	A
65	MED128	Naturopathist- I	10th	360	A
66	MED131	Dialysis Assistant	12th & 18 years of age	450	A
67	MED132	Medical Record Technician	12th & 18 years of age + computer basics	450	A
68	MED133	Health Care Multipurpose Worker	10th & 18 years of age	450	A
69	MED134	Nursing Aides	10th & 14 yrs. of age	400	A
16	PLA	PLASTIC PROCESSING	Minimum age-14 years		
70	PLA101	Basic Fitting & Measurement	5th	120	A
71	PLA102	Basic Electrical Joints & Fitting	5th	120	A
17	PRI	PRINTING	Minimum age-14 years		
72	PRI701	Book Binder	8th	500	A
18	REF	REFRIGERATION & AIR CONDITIONING	Minimum age-14 years		
73	REF701	Repair and Maintenance of Central Air Conditioning Plant	5th	500	A
74	REF703	Repair and Maintenance of Refrigerator	5th	500	A
75	REF704	Repair & maintenance of Automobile Air Conditioning	5th	500	A
76	REF706	Repair and maintenance of Window and Split A.C	8th	500	A
19	RET	RETAIL	Minimum age-14 years		
77	RET101	Sales Person (Retail)	10th	180	B
78	RET104	Sales Person (Door to Door)	10th	180	B
20	TOY	TOY MAKING	Minimum age-14 years		
79	TOY101	Pattern & Mould Maker (Soft Toy)	5th	240	A
80	TOY102	Cutter & Fixer of Toys Parts (Soft Toy)	5th	180	A
81	TOY103	General Sewing m/c Operator (Soft Toy)	5th	360	A
21	SWE	INDIAN SWEETS, SNACKS AND FOOD	Minimum age-14 years		
82	SWE101	Attendant-Ethnic Indian Sweets, Snacks & Food	5th	300	A

83	SWE214	Assistant Craftsman-North Indian Food	5th+SWE 101	210	A
22	PAI	PAINT	Minimum Age-14 years		
84	PAI101	Painter Assistant/helper	5th	90	A
85	PAI202	Wall Painter	5th+ PAI 101	120	A
86	PAI203	Wood Painter	5th+ PAI 101	180	A
87	PAI204	Metal Surface Painter	5th+ PAI 101	150	A
88	PAI205	Spray Painter	5th+ PAI 101	90	A
23	CON	CONSTRUCTION	Minimum Age-18 years		
89	CON702	Assistant Shuttering Carpenter & Scaffolder	5th	300	A
90	CON 703	Assistant Bar Bender & Steel Fixer	5th	500	A
91	CON 708	Bar- Bender	5th	500	A
92	CON 709	Building Carpenter	5th	300	A
93	CON 710	Conventional shuttering carpenter	5th	300	A
94	CON 714	Mason	5th	500	A
95	CON 715	Plumber	5th	500	A
96	CON 716	Scaffolder	5th	300	A
97	CON 720	Assistant Technician Dry Wall & False Ceiling *	5th	500	A
24	SEC	SECURITY	Minimum age -16 Years		
98	SEC101	Personal Security Guard	8th	150	A
99	SEC102	Industrial Security Guard	8th	150	A
100	SEC103	Event/Conference Security guard	8th	150	A
101	SEC501	Security Guard	10th & age 18-45 yrs.	300	A
25	WOO	WOOD WORK	Minimum age-14 Years		
102	WOO101	Basic Wood Work	5th	270	A
103	WOO202	Wooden Furniture	5th+WOO101	270	A
26	MDA	MEDIA	Minimum age-14 Years		
104	MDA101	Digital Camera Photography	8th	90	A
105	MDA102	Videography	8th	90	A
106	MDA104	Digital Audio Recording	10th	200	A
27	FOO	FOOD PROCESSING & PRESERVATION	Minimum age-14 Years		
107	FPP701	Fruits & Vegetables Processing	10th	500	A
108	FPP702	Baker & Confectioner	8th	500	A
28	LEA	LEATHER & SPORTS GOODS	Minimum age-14 Years		
109	LEA101	Leather & Rexene Goods Maker	5th	240	A
110	LEA103	Leather Garments Maker	8th	480	A
111	LEA104	Leather & Sports Goods Maker	8th	480	A
29	AGR	AGRICULTURE	Minimum age-16 Years		
112	AGR101	Basic Tractor Servicing	5th	150	A
113	AGR132	Mushroom Cultivation	5th+ 14 yrs. of age	90	A
114	AGR137	Vermiculture & Vermicomposting	5th+ 14 yrs. of age	90	A

30	TRV	TRAVEL & TOURISM	Minimum age - 16 Years		
115	TRV601	Ticket Reservation Assistant	10+2	520	B
116	TRV703	Tour Agent and Travel Operator	10+2	520	B
117	TRV704	Tour Guide for International Tourist	10+2	520	B
31	SS	SOFT SKILLS	Minimum age - 14 Years		
118	SS102	Spoken English and Communication Skill	7th	180	B
32	COL	COURIER & LOGISTICS	Minimum age - 14 Years		
119	COL102	Courier	8th	120	B
120	COL104	Office Assistant	10th	240	B
33	INS	INSURANCE	Minimum age - 14 Years		
121	INS104	Insurance Sales Associate	Graduation or Equivalent, 21 yrs.	480	B
34	MAM	MATERIAL MANAGEMENT	Minimum age - 18 Years		
122	MAM101	Store Attendant	8th	180	B
123	MAM104	Assistant Storekeeper	12th	300	B
124	MAM205	Storekeeper	12th+MAM 104	300	B
35	PAP	HANDMADE PAPER & PAPER PRODUCTS	Minimum age - 14 Years		
125	PAP101	Manufacturing of Envelopes	5th	80	B
126	PAP102	Manufacturing of Darnas and Plates	5th	120	B
36	JEW	HOME DÉCOR – ART JEWELLERY	Minimum age- 14 yrs.		
127	JEW101	Imitation Jewellery Kit Maker	5th	80	A
128	JEW105	Bridal Jewellery Set maker	5th	320	A
37	AHC	ALLIED HEALTH CARE	Minimum age- 14 yrs.		
129	AHC101	General Duty Attendant (GDA)	8th	240	B
130	AHC104	Domestic Assistant – Elderly Care	8th	240	B

- Please refer to the website www.dgeLnsc.in for curriculum/module and other details.

(क्र. 100/५ के नाम ज्यूडिशियल स्टाप पेपर पर अनुबंध)

Memorandum of Agreement- MoU (मेमोरेण्डम आफ एयीमेन्ट)

राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ0प्र0 (सूडा, उ0प्र0) द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपधटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई0एस0टी0एण्ड पी0) के अंतर्गत मिशन के अन्तर्गत उ0प्र0 में चयनित शहरों में लाभार्थियों के कौशल प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण, सेवायोजन आदि कार्यों हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) को इमैनल्ड किये जाने हेतु विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई निविदा (RFP No. : 4692/241/NULM/Teen/2014(EST&P)) RFP for Empanelment of Skill Training Providers (STP) for Employment through Skill Training and Placement (EST&P) Component of NULM in Uttar Pradesh, Date 19.02.2015 (संलग्नक-) द्वारा नांगे गये तकनीकी प्रस्तावों का निविदा में दिये गये मानकों के अनुरूप किये गये मूल्यांकन में अर्ह पायी गई संस्थाओं की इमैनलमेन्ट सूची राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ0प्र0 (सूडा, उ0प्र0) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-...../241/NULM/Teen/2001(EST&P) दिनांक 00.00.2015 (संलग्नक-) द्वारा निर्गत की गयी है। जिसमें यह संस्था "इमैनल्ड संस्था" है। निविदा (RFP) के Annexure C : Terms of Reference (ToR) - Background, Objective, Scope of the work ,Stakeholders and their Roles, Specific Task of the Training provider, Payment Schedule and Terms of Condition, Cost Norms, Training Cost, Geographical Coverage and Annexure - F : Minimum Specification for Training Centre Infrastructure, Annexure - H : List of Sector Wise Courses) में कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) के लिए उल्लिखित कार्यों और जिम्मेदारियों के निर्वाहन हेतु निविदा एवं गाइडलाइन में उल्लिखित विवरण/मानकों के अनुसार कार्य सम्पादन हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) और शहर मिशन प्रबंधन ईकाई (सी0एम0एम0यू0) (शहर का नाम) के मध्य उल्लिखित तिथि से 01वर्ष हेतु निम्नवत शर्तों के आधार पर अनुबंध किया जाता है। कौशल प्रशिक्षण प्रदाता

मोहर सहित हस्ताक्षर
(प्रथम पक्ष)

मोहर सहित हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)

(संस्था) द्वारा संतोषजनक एवं गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की दशा में यह एम०ओ०य००
एक-एक वर्ष के आधार पर अधिकमत 2 वर्षों (कुल 3 वर्षों) हेतु बढ़ाया जा सकता है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने कार्य को सुचारू रूप
से संचालन हेतु यह अनुबंध प्रपत्र आज दिनांक इकाई (सी०एम०एम०य००) (शहर का नाम) और कौशल प्रशिक्षण
प्रदाता (संस्था का नाम एवं पूर्ण पता)

के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई०एस०टी०एण्ड पी) के क्रियान्वयन
हेतु निष्पादित किया जाता है।

शहर मिशन प्रबंधन इकाई (सी०एम०एम०य००) (शहर का नाम) के
शहर परियोजना अधिकारी (सी०पी०ओ०) श्री
पद (प्रथम पक्ष)

एवं

कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था का नाम एवं पूर्ण पता)

एवं

राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ०प्र० (सूडा, उ०प्र०) के द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक
कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई०एस०टी०एण्ड पी०) के अंतर्गत प्रकाशित
निविदा (आर०एफ०पी०) संख्या 4692/241/एन०य००एल०एम०/तीन/2001(ई०एस०टी०एण्ड पी०)
दिनांक 019.02.2015 के माध्यम से इम्पैनल्ड की गई संस्था है। संस्था के श्री

पुत्र

पद

पूरा पता

(द्वितीय पक्ष)

(क) कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) का कार्य क्षेत्र

यह अनुबंध (शहर का नाम) हेतु राष्ट्रीय शहरी
आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार
(ई०एस०टी०एण्ड पी०) के अंतर्गत मिशन के अन्तर्गत उ०प्र० में चयनित शहरों में लाभार्थियों
के कौशल प्रशिक्षण, प्रभाणीकरण, सेवायोजन आदि कार्यों के लिए शहर मिशन प्रबंधन इकाई,
(शहर का नाम) द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) को जारी
किये गये कार्यान्वयन (Work Order) संख्या—
दिनांक 00.00.2015 (संलग्नक—) के अनुक्रम में किया जा रहा।

मोहर सहित हस्ताक्षर
(प्रथम पक्ष)

मोहर सहित हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)

(ख) प्रथम पक्ष के कार्य और उत्तरदायित्व :

1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई०एस०टी०एण्ड पी०) के अंतर्गत मिशन के अन्तर्गत उ०प्र० में चयनित शहरों में लाभार्थियों के कौशल प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण, सेवायोजन आदि कार्यों के लिए शहर मिशन प्रबंधन ईकाई,(शहर का नाम) द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) को जारी किये गये कार्यादेश (Work Order) में उल्लिखित शहरों में अपेक्षित प्रशिक्षण कार्य शहर मिशन प्रबंधन ईकाई (सी.एम.एम.यू)/झूड़ा के माध्यम से प्रदान किया जाना (संलग्नक—)।
2. कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) के इमैनल्ड हेतु जारी की गई निविदा (RFP No. : 4692/241/NULM/Teen/2014(EST&P)) RFP for Empanelment of Skill Training Providers (STP) for Employment through Skill Training and Placement (EST&P) Component of NULM in Uttar Pradesh, Date 19.02.2015 (संलग्नक—) के Annexure C : Terms of Reference (ToR) - Background, Objective, Scope of the work ,Stakeholders and their Roles, Specific Task of the Training provider, Payment Schedule and Terms of Condition, Cost Norms, Training Cost, Geographical Coverage and Annexure - F : Minimum Specification for Training Centre Infrastructure, Annexure - H : List of Sector wise Courses) में कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) के लिए उल्लिखित कार्यों और जिम्मेदारियों के अनुरार शहर मिशन प्रबंधन ईकाई (सी.एम.एम.यू)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (झूड़ा) द्वारा कार्यों के सम्पादन हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) को मार्ग निर्देश एवं सहयोग प्रदान करना।
3. आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई०एस०टी०एण्ड पी०) हेतु जारी दिशानिर्देश एवं समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों को कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) को उपलब्ध कराते हुए तत्काम में कार्यों का संपादन कराना।
4. कौशल प्रशिक्षण कार्यों का सम्पादन इमैनल कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) से सम्पादित कराना और प्रशिक्षण कार्यों का अनुश्रवण, देखरेख एवं प्रगति की समीक्षा शहर मिशन प्रबंधन ईकाई (सी.एम.एम.यू)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (झूड़ा) के माध्यम से कराना तथा समय-समय पर राज्य मिशन प्रबंधन ईकाई द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शहर में चल रहे प्रशिक्षण कार्य का भ्रमण कर निरीक्षण कराना।
5. कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) को आर०एफ०पी० प्राविधानों एवं इस MoU के प्रस्तर घ में उल्लिखित मानकों के अनुसार भुगतान कराना।

मोहर सहित हस्ताक्षर
(प्रथम पक्ष)

मोहर सहित हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)

- सम्बन्धित शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) से निर्धारित मासिक प्रगति फारमेट पर प्रगति (साप्ट व हार्ड प्रतियों में) प्राप्त कर राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0(सूडा, उ0प्र0) को निर्धारित तिथि में उपलब्ध कराना।
- कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) से नियमानुसार एवं निविदानुसार/दिशानिर्देशानुसार प्रशिक्षण कार्य की रिपोर्ट प्राप्त न होने पर नियमानुसार (इस MoU के प्रस्तार 'इ' सामान्य शर्तों में उल्लिखितानुसार) कार्यवाही करना।

(ग) द्वितीय पक्ष के कार्य और उत्तरदायित्व :

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई0एस0टी0एण्ड पी0) के अंतर्गत राष्ट्रीय शहर हेतु इमैनल शहर में लाभार्थियों के कौशल प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण, सेवायोजन आदि कार्यों को सम्पादन करना।
- कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) के इमैनल्ड हेतु जारी की गई निविदा (RFP No. : 4692/241/NULM/Teen/2014(EST&P)) RFP for Empanelment of Skill Training Providers (STP) for Employment through Skill Training and Placement (EST&P) Component of NULM in Uttar Pradesh, Date 19.02.2015 (संलग्नक—) के Annexure C : Terms of Reference (ToR) - Background, Objective, Scope of the work ,Stakeholders and their Roles, Specific Task of the Training provider, Payment Schedule and Terms of Condition, Cost Norms, Training Cost, Geographical Coverage and Annexure - F : Minimum Specification for Training Centre Infrastructure, Annexure - H : List of Sector wise Courses) में कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) के लिए उल्लिखित कार्यों और जिम्मेदारियों के प्रविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी.एम.एम.यू.)/दूडा द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) को जारी किये गये कार्यादेश (Work Order) संख्या.....
दिनांक 00.00.2015 (संलग्नक—) के अनुसार गुणवत्ता आधारित कौशल प्रशिक्षण कार्यों का समयबद्ध सम्पादन।
- आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई0एस0टी0एण्ड पी0) हेतु जारी दिशानिर्देश एवं समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले निर्देश के साथ ही राज्य सरकार, राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा उ0प्र0 एवं शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी.एम.एम.यू.)/दूडा द्वारा निर्गत एवं निर्गत किये जाने वाले निर्देशों के अनुरूप कार्यों का सम्पादन करना।
- शहरी गरीबों एवं उनके परिवार को स्थाई आजीविका उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु लाभार्थियों को गतिशील करना, कौशल प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण,

मोहर सहित हस्ताक्षर
(प्रथम पक्ष)

मोहर सहित हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)

सेवायोजन एवं सेवायोजन के पश्चात न्यूनतम 6 माह तक उनकी ट्रैकिंग करना। ये सभी कार्य घटक के दिशानिर्देश एवं निविदा में दिये गये टी0आ०आर० के अनुसार किये जायेंगे।

6. प्रशिक्षण उपरान्त लाभार्थियों के मूल्यांकन (असेसमेन्ट) एवं प्रमाणीकरण हेतु असेसिंग बॉडी को राहयोग करना एवं लाभार्थियों से संबंधित सभी आकड़े एवं विवरण आदि उपलब्ध कराना।
7. कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संरथा) द्वारा प्रदान किये जा रहे कौशल प्रशिक्षण की प्रगति का विस्तृत विवरण निर्धारित फारमेट में हार्ड एवं साप्ट प्रतियों में तैयार कर प्रत्येक माह शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी.एम.एम.यू.)/झूड़ा को उपलब्ध कराना। कौशल प्रशिक्षण कार्य से संबंधित सभी लाभार्थियों से संबंधित आकड़े एवं अन्य सूचनाओं को नियमित अपडेट करना तथा समय-समय पर मांगी गई सूचना, सी.एम.एम.यू./झूड़ा/निकाय/एस.एम.एम.यू./सूड़ा को उपलब्ध कराना।
8. मासिक प्रगति आख्या प्रत्येक माह की 05 तारीख तक हार्ड एवं साप्ट प्रति में शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी.एम.एम.यू.)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (झूड़ा) को उपलब्ध कराना।
9. गुणवत्ता आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु अनुभवी एवं कुशल प्रशिक्षकों (संबंधित ट्रैड में न्यूनतम 2 वर्षों के प्रशिक्षण कार्य का अनुभव) द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करना और निविदा में प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु निर्धारित की गई सुविधाओं को सुनिश्चित करना।
10. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा निर्देशित कार्यों की रिपोर्टिंग करना।
11. लाभार्थी के वित्तीय समावेश हेतु कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे किसी लाभार्थी का अगर खैक खाता नहीं है तो उस लाभार्थी का सामान्य बचत खाता खुलवाने में सहयोग करना।
12. प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु एम०आई०एस०-

 - 12.1 शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा निर्धारित एम०आई०एस० फार्मेट/मासिक प्रगति फार्मेट पर बैचवार और कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रगति प्रत्येक माह की 05 तारीख तक साप्ट एवं हार्ड कापी में अनिवार्य रूप से शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी.एम.एम.यू.)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (झूड़ा) को उपलब्ध कराई जायेगी।
 - 12.2 आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई०एस०टी० एण्ड पी०) हेतु तैयार किये गये शहरवार एग०आई०एस० सिस्टम में कौशल प्रशिक्षण हेतु चिन्हित किये गये प्रशिक्षणार्थियों की नवीन फोटो सहित पूर्ण विवरण कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के सहयोग से अपलोड किया जायेगा। ई०एस०टी० एण्ड पी० के एम०आई०एस० सिस्टम में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के विवरण अपलोड होने पर प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों हेतु यूनिक रजिस्ट्रेशन नम्बर जनरेट होगा और इसी यूनिक रजिस्ट्रेशन नम्बर के आधार पर ही प्रशिक्षणार्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जायेगी।

मोहर सहित हस्ताक्षर
(प्रथम पक्ष)

मोहर सहित हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)

12.3 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के शहरवार एमोआईएस० सिस्टम के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई०एस०टी० एप्लीकेशन) घटक के एमोआईएस० सिस्टम में शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा प्रत्येक कौशल प्रशिक्षण प्रदाता का एक यूजर आई०डी० और पासवर्ड जनरेट कर कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को दिया जायेगा। फोटोग्राफ युक्त प्रशिक्षणार्थियों की सूची, पता, ट्रेड आवि की सूचना और कौशल प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य संबंधित विवरण, इस यूजर आई०डी० और पासवर्ड के माध्यम से प्रत्येक कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा अपलोड किया जायेगा।

(घ) कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) को भुगतान –

- कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) को प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भुगतान बैचवार किया जायेगा।
- कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) के इमैनल्ड हेतु जारी की गई निविदा (RFP No. : 4692/241/NULM/Teen/2014(EST&P)) RFP for Empanelment of Skill Training Providers (STP) for Employment through Skill Training and Placement (EST&P) Component of NULM in Uttar Pradesh, Date 19.02.2015 (संलग्नक—) के Annexure C : Terms of Reference (ToR) के प्रस्तार 6- Payment Schedule and Terms of Condition, 7- Cost Norms, 8- Training Cost के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) को निर्धारित कार्यों हेतु नियमानुसार भुगतान किया जायेगा, जोकि निम्नवत है:

Payment Schedule and Terms of Condition

The last installment of training cost to be released only after successful placement of microenterprise development and tracking for 6 months post successful completion of the training:

Sl. No.	Deliverables	Percentage of Payment
1	1st Installment: <ul style="list-style-type: none"> Finalization of list of beneficiaries. After commencement of training and certified from the STP to CMMU/DUDA. Beneficiaries online data feeding of Trainees. STP should provide the inception report of the training in which they insure the 10 days attendance of each trainees out of 15 days training. 	30 %
2	2nd Installment: <ul style="list-style-type: none"> On successful completion of training of respective batches and documentary proof of certification and placement process initiation. On completion of training and submission of completion report along with photograph of trainees including details of conducted the training. submission of detail assessment reports and all photo copy of certificates of trainees and placement details which includes appointments letter from employers and beneficiaries undertaking for self employment including bank financing details. <p><i>Note - on the basis of the above the 50% training cost would be release only for those trainees who have got the certificate after successful assessment criteria of the trainees shall be taken in account for releasing the second installment.</i></p> <p><i>The training provider can enroll the candidates failing the assessment for repeat the training for certification and placement. However, the re-training and their</i></p>	50%

मोहर सहित हस्ताक्षर
(प्रथम पक्ष)

मोहर सहित हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)

	assessment cost of such candidates shall be borne by the STP.	
3	<p>3rd Installment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50% placement (job-placement or setting up self-enterprise) of the trainees of the respective trade in the suitable organization and completion of 6 months of engagement. <ul style="list-style-type: none"> • Job Placement: On successful completion of the training, the candidate shall be provided placement in suitable job by the STP within one month of completion of the training. • Micro-enterprise: For candidates interested in setting up micro-enterprises, the STPs shall be responsible to assist in setting-up the microenterprise within 3 months of successful completion of the training. • Submission of all relevant reports and issue of certification in support of the same, along-with self certified undertaking and bank financing details for self employment and salary certificate from the employer signed by the concerned beneficiary. • Trainee wise monthly tracking report for 6 month (prescribed and agreed format) on handholding support to the candidate placed in different agencies. <p><i>Note - The STP shall work towards providing job-placement or setting up self-enterprise for all the successful candidates. It is mandatory for the STP to provide placement / set-up support to self-enterprise for minimum 50% of overall target trainees, inability to do so shall result into suitable penalty such as forfeited of Bank Guarantee, cancel of work order & termination of MOA as well as others condition will also be applied as mentioned in the General Condition under this MOA.</i></p>	20 %

▪ As per latest instruction issued from time to time by Govt. of India and Uttar Pradesh.

3. Cost Norms

The maximum cost support provided for training under EST&P is Rs. 15,000/- per candidate. However, the cost of training will vary based on the course curriculum, infrastructure and materials needed for the course, course duration, etc. The training cost will include cost of candidate mobilization, curriculum design, trainer's fees, raw materials required for training, assessment & certification, placement linkage, MIS and post-placement tracking of the candidates.

Payment to the Training Provider/Agency will be made as per the based on sector wise tread of training hours. List of sector wise courses, minimum eligibility, duration (Hours) & Cost Category for Core Skills given in annexure -....

Training Cost - The Training Cost for each Category be explained as follows:

S. No.	Cost Category	Training Cost including soft skill component cost (per trainee per hour in INR)
1	A	= 27.50/-
2	B	22.50/-

Skill Development Initiative Scheme (SDIS) based on MODULAR EMPLOYABLE SKILLS List of MES Courses approved by NCVT (As on 23-03-2015).

मोहर सहित हस्ताक्षर
(प्रथम पक्ष)

मोहर सहित हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)

(इ) सामान्य शर्तें

1. उपरोक्त शर्तें/कार्यों के उल्लंघन एवं पूर्ण नहीं करने की स्थिति में कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) द्वारा निर्धारित प्रारूप पर धनराशि रु0 1,00,000/- (रुपया एक लाख मात्र) दिनांक _____ के माध्यम से जमा की गयी बैंक गारंटी (संलग्नक) शहर मिशन प्रबंधन ईकाई (सी.एम.एम.यू.)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (झूड़ा) को जब्त कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही का सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
2. कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) इन्वैनलमेन्ट होने पश्चात भी अगर नियिदा में संलग्न किये गये प्रपत्र गलत एवं संदिग्ध पाया जाता है तो शहर मिशन प्रबंधन ईकाई (सी.एम.एम.यू.)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (झूड़ा)/राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ0प्र0 (सूडा, उ0प्र0) को अधिकार होगा कि उक्त संस्था को आवंटित कार्यों को निरस्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही का सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
3. कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) के संतोषजनक प्रशिक्षण कार्य न पाये जाने पर शहर मिशन प्रबंधन ईकाई (सी.एम.एम.यू.)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (झूड़ा)/राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ0प्र0 (सूडा, उ0प्र0) को अधिकार होगा कि उक्त संस्था को आवंटित कार्यों को निरस्त कर दिया जाये।
4. भुगतान हेतु उल्लिखित शर्तें/कार्यों के अनुसार ही कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) को भुगतान किया जायेगा। संतोषजनक प्रशिक्षण कार्य न पाये जाने पर भुगतान की गयी धनराशि मय व्याज व आंकलित हर्जाने के साथ नियमानुसार वसूलने का अधिकार शहर मिशन प्रबंधन ईकाई (सी.एग.एम.यू.)/जिला नगरीय विकास अभिकरण (झूड़ा) को होगा।
5. कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) द्वारा लाभार्थियों के कौशल प्रशिक्षण, प्रगाणीकरण, सेवायोजन आदि कार्यों के कार्यों को फ्रेन्चार्ड्जी व सबलेटिंग नहीं किया जायेगा।
6. In case of any dispute between 1st & 2nd party the dispute would be referred to Mission Director?Director, State Urban Livelihood Mission, UP/State Urban Development Agency (SUDA), UP or his nominees has the sole Arbitration under the provision of Conciliation and Arbitration Act 1996.
7. प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष को अनुबंध में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
8. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र संबंधित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शहर होगा।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

मोहर सहित हस्ताक्षर
(प्रथम पक्ष)

मोहर सहित हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)

प्रथम पक्ष

गवाह—1	अनुबंधकर्ता
हस्ताक्षर :	हस्ताक्षर :
पूरा नाम :	(मोहर सहित)
पूरा पता :	पूरा नाम :
	पद :
गवाह—2	पूरा पता : शहर मिशन प्रबंधन इकाई (सी.एम.एम.यू.)
हस्ताक्षर :	(शहर का नाम) / जिला नगरीय विकास अभियान (झूड़ा)....
पूरा नाम :	(शहर का नाम)
पूरा पता :	

द्वितीय पक्ष

गवाह—1	अनुबंधकर्ता
हस्ताक्षर :	हस्ताक्षर :
पूरा नाम :	(मोहर सहित)
पूरा पता :	पूरा नाम :
	पद :
गवाह—2	कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (संस्था) का नाम :
हस्ताक्षर :	पूरा पता :
पूरा नाम :
पूरा पता

मोहर सहित हस्ताक्षर
(प्रथम पक्ष)

पृष्ठ | 9

मोहर सहित हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)

(Performance Guarantee form on Rs. 100/- of non-judicial stamp paper)

**PERFORMANCE GUARANTEE FORM FOR EMPLOYMENT THROUGH SKILL TRAINING & PLACEMENT (EST&P) UNDER NATIONAL URBAN LIVELIHOOD MISSION (NULM)
UTTAR PRADESH**

Under Section 1, annexure A, point 5 of RFP page no. 7, towards Performance Guarantee in the form of Bank Guarantee.

To
City Project Officer,
City Livelihood Mission (CMMU)

Uttar Pradesh (Name of ULB/City)

WHEREAS:.....(Name of the Skill Training Provider (STP)) hereinafter called the "STP has undertaken, in pursuance of MoU dated.....2015 to provide skill training & training related activities etc under Employment Through Skill Training & Placement (EST&P) component of National urban livelihood mission (NULM) in the training work allotted through bid processes, hereinafter called the "Skill Training Provider (STP)".

AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said MoU that the Skill Training Provider (STP) shall furnish you with a bank Guarantee by a Nationalized Bank for the sum specified therein as security for providing the skill training & training related activities etc as well as other Performance obligations in accordance with the MoU.

AND WHEREAS we have agreed to provide the Bank Guarantee on behalf of Skill Training Provider (STP).

THEREFORE WE hereby affirm that we are Guarantors and responsible to you, on behalf of the Skill Training Provider (STP) up to a total of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lac only) and we undertake to pay you, upon your first written demand declaring the Skill Training Provider (STP) to be in default under the MoU and without cavil or argument, any sum or sums within the limit of.....(Amount of Guarantee) as aforesaid, without your needing to prove or to show grounds or reasons for your demand or the sum specified therein.

This guarantee is valid for 3 years from the date of signing of MoU that is theday of the month.....year.....and it will be renewable on your demand.

Signature and Seal of Guarantors

Date.....
Address.....

b
p 9